अध्याय-I : परिचय

1.1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बारे में

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.) भारत में अभियांत्रिकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्वायत्त, शीर्ष संस्थान हैं। मार्च 2020 तक, देश भर में 23 भा.प्रौ.सं. हैं। इन 23 भा.प्रौ.सं. में से सात भा.प्रौ.सं. वर्ष 1951-2001 के बीच, आठ भा.प्रौ.सं. वर्ष 2008 और 2009 के दौरान स्थापित किए गए थे जबकि अन्य आठ भा.प्रौ.सं. वर्ष 2012-16 के दौरान स्थापित किए गए थे।

भा.प्रौ.सं. पूर्वस्नातक (यू.जी.) और स्नातकोत्तर (पी.जी.) दोनों स्तरों पर अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। सभी भा.प्रौ.सं. द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षाओं में योग्यता के आधार पर होता है, अर्थात बी.टेक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई-एडवांस्ड), एम. टेक पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (जीएटीई) और एमएससी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेएएम) आयोजित की जाती है।

1.2 भा.प्रौ.सं. की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

सभी भा.प्रौ.सं., एक केंद्रीय परिनियम, 'प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961' (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित), द्वारा शासित होते हैं, जिसने भा.प्रौ.सं. को राष्ट्र के महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में घोषित किया। अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि भा.प्रौ.सं. अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और कला की ऐसी शाखाओं में अनुदेश और अनुसंधान प्रदान करते हैं, जो भा.प्रौ.सं. को उचित प्रतीत होते हैं। ये भा.प्रौ.सं. विभिन्न शाखाओं में सीखने की अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार के लिए कदम उठाते हैं, परीक्षायें आयोजित करते हैं, मानक उपाधि प्रदान करते हैं, परिनियम और अध्यादेश आदि तैयार करते हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भा.प्रौ.सं. अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में पूर्वस्नातक प्रोग्राम[1], विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर प्रोग्राम[2] और

[1] बैचलर आफ टेक्नोलोजी(बी.टेक), बैचलर आफ अर्किटेक्चर (बी.आर्क), बैचलर आफ डिजाइन (बी.डिज)

[2] एम.टेक, एम.ए, एम.एससी, एम.डेज, एम.फिल, एमबीए

अभियांत्रिकी, विज्ञान तथा अंतःविषय क्षेत्रों में पीएच.डी प्रोग्राम प्रदान करते हैं। भा.प्रौ.सं. मौलिक, व्यावहारिक और प्रायोजित अनुसंधान भी करवाते हैं।

1.3 भा.प्रौ.सं. का संगठनात्मक ढांचा

अधिनियम और परिनियम द्वारा आदेशित भा.प्रौ.सं. का संगठनात्मक प्रारूप निम्न *चार्ट 1.1* के अनुसार है:

चार्ट 1.1: भा.प्रौ.सं. का संगठनात्मक ढांचा

कुलाध्यक्ष	•भारत के राष्ट्रपति सभी भा.प्रौ.सं. के कुलाध्यक्ष हैं। •कुलाध्यक्ष किसी भी भा.प्रौ.सं. के कार्य/प्रगति की समीक्षा करने और उससे संबन्धित मामलों की जांच करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं।
भा.प्रौ.सं. परिषद	•सभी भा.प्रौ.सं. के क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पदेन एक केंद्रीय निकाय है। •सभी भा.प्रौ.सं. के अध्यक्ष और निदेशक भा.प्रौ.सं. परिषद के सदस्य हैं। •प्रवेश मानकों, डिग्री से संबंधित मामलों पर सलाह देती है, संवर्गों के संबंध में नीति, भर्ती के तरीके और सेवा की शर्तें भी निर्धारित करती है। •परिषद प्रत्येक संस्थान के निदेशक की नियुक्ति कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से करती है।
शासक बोर्ड (बीओजी)	•प्रत्येक भा.प्रौ.सं. अपने शासक बोर्ड जो कि भा.प्रौ.सं. के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है, के द्वारा शासित होता है। •शासक बोर्ड के अध्यक्ष को कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है और वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता/करती है और यह सुनिश्चित करता/करती है कि शासक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किया गया है अथवा नहीं।
सीनेट	•भा.प्रौ.सं. की सीनेट, भा.प्रौ.सं में शिक्षा एवं परीक्षा के मानक के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।
वित्त समिति (एफसी)	• संस्थान से संबंधित किसी भी वित्तीय मामले पर अपने विचार व्यक्त करने और शासक मंडल को सिफारिशें करने हेतु उत्तरदायी है। •यह संसाधन संग्रहण के संबंध में मार्गदर्शन एवं परामर्श भी प्रदान करती है।
भवन एवं निर्माण समिति (बीडब्ल्यूसी)	•शासक मंडल के निर्देशन में प्रत्येक भा.प्रौ.सं की भवन एवं निर्माण समिति, संस्थानों के सभी प्रमुख पूंजीगत कार्यों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
निदेशक	•भा.प्रौ.सं. के प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी हैं एवं •भा.प्रौ.सं. के समुचित प्रशासन व अनुदेश देने तथा अनुशासन बनाए रखने हेतु उत्तरदायी हैं। •कई संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष हैं, जो शिक्षा और अनुसंधान के मामलों में निदेशक को सलाह और सहायता प्रदान करते हैं।
कुलसचिव	•अभिलेखों, सामान्य मुहर, भा.प्रौ.सं. की निधियों आदि के संरक्षक हैं। •बोर्ड, सीनेट और ऐसी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करते है जो संविधि द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। •अपने कार्यों के उचित निर्वहन हेतु निदेशक के प्रति उत्तरदायी हैं।

1.4 वित्त के स्रोत

अधिनियम के अन्तर्गत भा.प्रौ.सं. को अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार, संसद के द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोजन के पश्चात, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक भा.प्रौ.सं. को ऐसी राशि और इस प्रकार से भुगतान करती है जैसा वह उचित समझे। इनमें भारत सरकार के माध्यम से प्रदान किए गए अनुदान (पूंजीगत और आवर्ती प्रकृति) और ऋण (आंतरिक और बाह्य दोनों एजेंसियों से) शामिल हैं। इसके अलावा भा.प्रौ.सं. को अधिनियम द्वारा परिकल्पित शुल्क और अन्य प्रभारों के रूप में आंतरिक राजस्व प्राप्त करने का अधिकार है।